

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शिवदीप 2. वर्तमान धारित पद तहसील प्रमुख
 3. वर्तमान वंश 8300+ अर्थात् वेतनवृद्धि का तारोख 1.4.17

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		••वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया ••खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारोख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>① गिहा-कटनी विभाग- जखलपुर</p>	मकान	एक	2012 पं 16,00,000 ₹ अनुमानित मूल्य	शिवदीप पति के साथ	खरीद	1000	—
<p>② ग्राम- बिकानेर जिला- बीकानेर तहसील- एटा विभाग- नागर</p>	—	एक एक	2011 पं 10,00,000 ₹ अनुमानित मूल्य	शिवदीप पति के साथ	खरीद	1000	—

① गिहा-कटनी
 विभाग- जखलपुर

② ग्राम- बिकानेर
 जिला- बीकानेर
 तहसील- एटा
 विभाग- नागर

• - जहां लागू न हो काट दीजिए।
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 ••• इसमें मालिकान्तालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सभ्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार साल होने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित राशत दायता सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर शिवदीप
 नाम शिवदीप
 पद तहसील प्रमुख